

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

क0नि0-2-875 / ग्यारह-9(386)/94-एक्ट-74-56-आदेश-(13)-2008

दिनांक: 26 मार्च, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में, ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21

के साथ पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा 8 की

उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त उपधारा के अधीन जारी की गई

निम्नलिखित विज्ञप्तियों को दिनांक 26 मार्च, 2008 से विखण्डित करते हैं :-

1. विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3915 / ग्यारह-9(129) / 2000-एक्ट-74-56-आदेश-(48)-2000
दिनांक 23 नवम्बर, 2000

2. विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2692 / ग्यारह-9(158) / 2000-एक्ट-74-56- आदेश-(39)-2001
दिनांक 04 सितम्बर, 2001

3. विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2950 / ग्यारह-9(53) / 91-एक्ट-74-56-आदेश-(45)-2001
दिनांक 26 सितम्बर, 2001

4. विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-4666 / ग्यारह-9(386) / 94-एक्ट-74-56-आदेश-(18)-2002
दिनांक 11 अक्टूबर, 2002

5. विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1795 / ग्यारह-9(37) / 97-एक्ट-74-56-आदेश-(21)-2004
दिनांक 06 जुलाई, 2004

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)

प्रमुख सचिव